B.Ed.
अजार 14/10/20

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः– 31(1)शिक्षा–4/2015 जयपुर, दिनांक 13/X/2020

1 आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2 कुलसचिव, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3 कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।

JD(PI) 13/10

विषयः–शिक्षा संकाय से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में अब तक सम्पन्न द्वितीय चरण की इन्टर्नशिप को पूर्ण मानने बाबत।

I. D. No. 422/PS/CCE/S
Dated 14/10/2

महोदय,

उपर्युक्त के क्रम में लेख है कि NCTE व UGC के मार्गनिर्देशन की अनुपालना तथा कोविड–19 महामारी की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में द्वितीय चरण की अब तक सम्पन्न स्कूल स्थानबद्व कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) को पूर्ण मानते हुए अग्रिम कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(शुचि शर्मा)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. समन्वयक, पी.टी.ई.टी. डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
4. उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि NCTE व UGC के मार्गदर्शन की अनुपालना तथा कोविड–19 की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की द्वितीय चरण की स्कूल स्थानबद्व कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) को पूर्ण मानते हुए इन्टर्नशिप पूर्णता का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुए विद्यार्थियों को विद्यालयों से कार्यमुक्त कर शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भिजवाने हेतु निर्देश जारी करनें का श्रम करें।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समसा, शिक्षा संकुल, जयपुर को सूचनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, उच्च शिक्षा

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर
क्रमांक F24( ) B.Ed/आरमाश्री/2020/406 दि. 23-10-2020
वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
अजार
डॉ. अलमा व्यास